

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान सीवरेज योजना व पलसोड़ा में नवीन कर्मशाला का आज करेंगे ई-लोकार्पण

रतलाम 21 सितम्बर । रतलाम शहर को गन्दे पानी से मुक्त किये जाने हेतु अमृत योजनान्तर्गत सीवरेज योजना व अमृत योजना के डीयूटीएफ फण्ड के अन्तर्गत पलसोड़ा में निर्मित नवीन कर्मशाला का ई-लोकार्पण आज 22 सितम्बर बुधवार को 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान के करकमलों द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री माननीय श्री भूपेन्द्रसिंह, नगरीय विकास एवं आवास विभाग राज्यमंत्री माननीय श्री ओ.पी. एस. भदौरिया तथा सांसद रतलाम माननीय श्री गुमानसिंह जी डामोर व विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप की उपस्थिति में संपन्न होगा।

अमृत योजनान्तर्गत रतलाम नगर में 14154.00 लाख की संचालन एवं संधारण सहित सीवरेज योजना व अमृत योजना के डीयूटीएफ फण्ड के अन्तर्गत पलसोड़ा में 50.00 लाख की लागत से निर्मित नवीन कर्मशाला का ई-लोकार्पण कार्यक्रम आज 22 सितम्बर बुधवार को 12 बजे खेतलपुर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थल पर आयोजित किया गया है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडियाबंधु व नागरिकों से अपील की है कि रतलाम नगर की महती सीवरेज योजना व नवीन कर्मशाला ई-लोकार्पण कार्यक्रम में कोविड-19 की गाईड लाईन अनुसार उपस्थित रहकर आयोजित कार्यक्रम का सफल बनावें। ई-लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

<https://webcast.gov.in/mp/cmevents> आयोजित किया जावेगा।

रतलाम के व्यापारियों के लिए सौगात है सुभाष शॉपिंग काम्पलेक्स जिलाधीश व निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम द्वारा सुभाष शॉपिंग काम्पलेक्स का निरीक्षण काम्पलेक्स में सुधार कार्यों का किया अवलोकन

रतलाम 21 सितम्बर । महु रोड स्थित सुभाष शॉपिंग काम्पलेक्स को नवीन स्वरूप देने के लिए यहां किए जा रहे सुधार कार्यों का निरीक्षण मंगलवार शाम जिलाधीश व नगर निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने करते हुए नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सहित अन्य इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि मार्केट में सुधार से जुड़े कामों को समय सीमा में कर लिया जाए।

महु रोड स्थित सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्पलेक्स का कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ गुरुवार दोपहर मार्केट का निरीक्षण किया। निगम प्रशासक ने मार्केट के कोने-कोने का निरीक्षण कर यहां की सफाई व ड्रेनेज व्यवस्था को देखा और समय सीमा में यहां व्याप्त कमियों को दूर करने के निर्देश मौके पर ही दिए हैं। इसी तरह दुकानों की शटर की मरम्मत और जरूरत होने पर नए शटर लगाने के लिए भी संबधित इंजीनियर को निर्देश दिए गए हैं।

इस मौके पर आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मार्केट की 99 दुकानों को नगर निगम के ई टेंडर के माध्यम से आगामी दिनों नीलाम करने जा रहा है। इस नीलामी को लेकर रतलाम शहर सहित अन्य नगरों के व्यापारी व खरीदारी भी रुचि दिखा रहे हैं। कुछ समय पूर्व निर्मित इस मार्केट की दुकानों व छत बेहतर बनाने के लिए निगम प्रशासन यहां मरम्मत कार्य भी शुरू करवा चुका है।

उन्होंने बताया कि सुभाष मार्केट की दुकानों की नीलामी ई निविदा के माध्यम से प्राप्त होकर पारदर्शी आवंटन होगा। यहां की दुकानों के लिए 30 वर्ष की लीज या 10 वर्ष की लीज

राशि एक मुश्त जमा कराए जाने पर फ्री होल्ड का प्रावधान भी रखा गया है। इसके साथ ही दुकानों पर किसी तरह का किराया नहीं रहेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि शहर के सबसे बड़े इस मार्केट में पार्किंग की पर्याप्त सुविधा है, इसके साथ ही समीप की एक बड़ी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाकर वहां भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि चार पहिया सहित अन्य बड़े वाहनों को यहां खड़ा किया जा सके।

इस मौके पर दुकानों की खरीदारी के लिए आए व्यापारियों ने भी निगम आयुक्त श्री झारिया से मुलाकत की और ई निविदा से जुड़ी जानकारी व नियम शर्तें जानी हैं। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस शापिंग काम्पलेक्स महारोड़ की दुकाने प्रथम फ्लोर व लोवर फ्लोर पर स्थिति दुकानों के आंवटन मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 एवं संशोधित नियम 4 मई 2021 के प्रावधान के अन्तर्गत किए जाने के लिए आफर ई निविदा द्वारा आमंत्रित है।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, श्री सत्यप्रकाश आर्चाय, उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा, श्री ब्रजेश कुशवाह, श्री शैलेन्द्र गोठवाल आदि उपस्थित थे।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 21 सितम्बर को 94 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 21 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम क कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 21 सितम्बर मंगलवार को 94 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

21 सितम्बर मंगलवार को डम्पर से 44870, ट्रेक्टर 10545 व काम्पेक्टर सूखा कचरा 39105 किलो इस तरह कुल 94520 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

सफाई कार्य हेतु वार्डों में हाथ गाड़ियों का वितरण

रतलाम 21 सितम्बर । सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा क्रय की गई हाथ गाड़ियों का वितरण उपायुक्त श्री विकास सोलंकी व स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वार्ड दरोगाओं को किया गया।

नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में 2-2 हाथ गाड़ियों का वितरण किया गया जिससे सफाई कार्य में सुधार होगा। इस अवसर पर वार्ड दरोगा उपस्थित थे।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

रतलाम 21 सितम्बर। अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पाबंद कर 8 आश्रय स्थलों की स्थापना की है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य क लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412-270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8-8 घण्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो0नं0 9300885504, ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211, शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय

अग्रवाल मो0 नं0 9907454456, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो0 नं0 7697052031, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो0 नं0 7471144027, भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त किया गया है ।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 21 सितम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 21 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

1261 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 21 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2696 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 1549 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 1241 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 24 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा एसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के ज्ञोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 21 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व ज्ञोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित ज्ञोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड

प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/21.09.2021/न.पा.निगम, रतलाम.